

## सेवा शुल्क

### प्रलिस के लयः

सेवा शुल्क, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण (CCPA), राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), उपभोक्ता अधकार ।

### मेन्स के लयः

सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप ।

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण (CCPA) ने अनुचति व्यापार प्रथाओं से बचने और सेवा शुल्क का आकलन करने वाले होटलों और रेस्तराँ में उपभोक्ता हतियों की रक्षा के लयि नयिम जारी कयि हैं ।

## केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधकरण (CCPA):

- इसे [उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम \(CPA\) 2019](#) के तहत स्थापति कयि गया था ।
- यह उपभोक्ता अधकारों के दुरुपयोग, अनुचति व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक वपिणन, जो कजिनता के हति में हानकारक हैं, को नयित्तरति करने का अधकार रखता है ।
- इसके पास CPA, 2019 की धारा 18 के तहत उपभोक्ताओं के अधकारों की रक्षा, प्रचार और सबसे महत्त्वपूर्ण अधनियिम के तहत उनके अधकारों के उल्लंघन को रोकने का अधकार है ।
- इसके अलावा यह उपभोक्ता अधकारों को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चति करता है कि कोई भी व्यक्त अनुचति व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो और इसे उपभोक्ताओं के अधकारों को लागू करने के लयि दशिा-नरिदेश जारी करने का भी अधकार है ।

## नए दशिा-नरिदेश:

- परचियः
  - इसके अनुसार होटल और रेस्तराँ में सेवा शुल्क (**Service Charge**) चार्ज के नाम पर बलि में स्वतः या डफॉल्ट रूप से अतरिकित चार्ज वसूलने पर रोक है ।
  - उनहें ग्राहकों को यह बताना होगा कि **सेवा शुल्क स्वैच्छकि और वैकल्पकि** हैं ।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि होटल और रेस्तराँ को अब सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को सीमति करने की अनुमति नहीं है ।
  - इसके अलावा होटलों को अपने बलियों में सेवा शुल्क जोड़ने और कुल GST जमा करने की अनुमति नहीं है ।
  - कसिी भी टपि, टोकन, दान आदिको होटल के कर्मचारयिँ और उपभोक्ता के बीच एक अलग लेन-देन के रूप में माना जाएगा जो उपभोक्ता के लयि पूरी तरह से स्वैच्छकि है ।
- सुधार प्रकरयिाः
  - अगर कोई होटल या रेस्तराँ सेवा शुल्क ले रहा है तो ग्राहक संबंधति होटल या रेस्तराँ को बलि से सेवा शुल्क हटाने के लयि कह सकता है या फरि **1915 नंबर पर कॉल** करके या NCH मोबाइल एप के माध्यम से **NCH** पर शकियत दर्ज करा सकता है ।
    - राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मुकदमेबाजी के पूरव स्तर पर एक वैकल्पकि वविद नविरण तंत्र के रूप में कार्य करती है ।
  - इसके त्वरति और प्रभावी नविरण के लयि इलेक्ट्रॉनकि रूप से [edaakhil.nic.in](http://edaakhil.nic.in) के माध्यम से उपभोक्ता आयोग के पास अनुचति व्यापार व्यवहार के खलिाफ शकियत दर्ज की जा सकती है ।

## सेवा शुल्क:

- यह ग्राहक और रेस्तराँ कर्मियों, विशेष रूप से प्रतीक्षा कर्मचारियों के बीच एक टपि या सीधा लेन-देन है।
- यह एक मुख्य उत्पाद या सेवा की खरीद से संबंधित सेवाओं के लिये ली जाने वाली लागत है।
- यह आतथिय और खाद्य एवं पेय उद्योगों द्वारा उपभोक्ताओं की सेवा के लिये शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है।

## नए दशा-नरिदेश जारी करने का कारण:

- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH)** पर भुगतान बलों में अनावश्यक रूप से सेवा शुल्क लगाने से संबंधित अत्यधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं।
- बलि में अक्सर कुछ अन्य शुल्कों की आड़ में कुल राशिके रूप में अतिरिक्त राशि विसूली जा रही थी।
- नए नियमों के अनुसार, किसी उपभोक्ता से मैन्यू पर खाद्य पदार्थों की कीमत और लागू करों से अधिक शुल्क लेना **CPA के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार'** माना जाता है।

## आगे की राह

- ये नए नियामक दशा-नरिदेश आवश्यक थे क्योंकि कई होटल और रेस्तराँ आदि लोगों से भारी मात्रा में सेवा शुल्क वसूल रहे थे तथा साथ ही मनमाना मूल्य निर्धारण भी कर रहे थे।
- अब ग्राहक शुल्क का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होंगे और यह एक स्वैच्छिक विकल्प होगा, लेकिन देश भर में इन नियमों के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/वशिषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिये नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

व्याख्या

- संसद द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत **उपभोक्ताओं को खाद्य नमूने लेने, उनका परीक्षण करने और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। अतः कथन 1 सही है।**
- उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने या उपभोक्ता फोरम में अपना मामला लड़ने के लिये वकील की आवश्यकता नहीं होती है। वह खुद शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता को कोई अदालती शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह अदालत के प्रकार और दावा राशिके आधार पर केवल एक मामूली शुल्क है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि **उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी या परतनिधि उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। अतः कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

## स्रोत: द हिंदू

